

26⁰²/₂₁ अधिवक्ताओं ने कम्प्लेंट पर इन्फार्मेशन/कार्रवाई स्थगित रख
वास्ते दिनांक-22/04/21 पर ~~...~~ Ram

22⁰⁴/₂₁ पी.ओ. साहब अवकाश/स्थानान्तरण/भ्रमण
पर होने से दिनांक-~~17-06-21~~ को पेश हो Ram

17⁰⁶/₂₁ पी.ओ. साहब अवकाश/स्थानान्तरण/भ्रमण/कीर्ति
होने से दिनांक-16-07-2021 को पेश हो Ram

16⁰⁷/₂₁ पी.ओ. साहब अवकाश/स्थानान्तरण/भ्रमण
पर होने से दिनांक-23-07-2021 को पेश हो Ram

23⁰⁷/₂₁ मंत्रावली पेश हुई। उन्मथपद्म अधिवक्ता उपस्थित।
तहसीलदार, पीपलू से चाही जर्द तक्रारमा रिपोर्ट प्राप्त।
उन्मथपद्म अधिवक्ता ने प्रस्तुत तक्रारमा रिपोर्ट पर
बहस का निवेदन किया। बकील वादी ने प्रस्तुत
तक्रारमा रिपोर्ट के आधार पर बाद वादी डिडी किये
जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता प्रतिवादीजण
ने बाद वादी डिडी किये जाने में अपनी सहमति
जाहिर की। मंत्रावली के अवलोकन एवं उन्मथपद्म
की बहस पर मनन किया जाकर उन्मथपद्म की
सहमति के आधार पर बकील वादी का बाद डिडी
किया जाता है। निर्णय पृथक से लिखवाया जाया
जो शामिल मिसल है। नोन ज्युडिशियल स्याम्प पेश
होने पर डिडी जारी हो। मंत्रावली निर्णित शुमार
होकर दफ्तर दाखिल हो एवं नियमानुसार नम्बर
से कम हो।

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टॉक)